न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
9/18/2022	28.01.2022	22.03.2022

बउनवान

1–रामरतन पुत्र स्व0 श्री केश,
2– बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री केश,
3–धनीराम पुत्र स्व0 श्री दौलतराम पोत्र स्व0 श्री केशू,
4–ओमकार पुत्र स्व0 श्री दौलतराम पोत्र स्व0 श्री केश,
5–कमलादेवी पत्नी स्व0 श्री दौलतराम पुत्र वधू स्व० श्री केशू जाति माली निवासी ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी उप तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

—— वादीगण

बनाम

1–छज्जूराम पुत्र स्व0 श्री सम्पतराम,
2–प्रभूदयाल पुत्र स्व0 श्री सम्पतराम जाति माली निवासी ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी उप तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

—— असल प्रतिवादीगण

3–फूलादेवी पुत्री स्व0 श्री केशू,
4–बिलादेवी पुत्री स्व0 श्री केशू,
5–लक्ष्मीबाई पुत्री स्व0 श्री केशू,
6–गुडडी पुत्री स्व0 श्री दौलतराम पोत्री स्व0 श्री केशू,
7– सुमन पुत्री स्व0 श्री दौलतराम पोत्री स्व0 श्री केशू जाति माली निवासी ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी उप तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

——तरतीवी प्रतिवादीगण

8–राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर राजस्थान

————भूमिधारी तकमीली प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: निर्णय :

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम पेश किया वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंदोबस्त संवत 2020 में आराजी गत खसरा नम्बर 163 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके बंदोबस्त संवत 2051 में आराजी गत खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 899 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 906 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.66 हैक्टेयर कायम किये गये हैं, ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी उप तहसील बहादरपुर वादीगण व असल प्रतिवादीगण तथा तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार हम वादीगण व असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का पूर्वज सेवा था, जिसका स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास होने के बाद सेवा की विरासत का इंतकाल हम वादीगण के पिता, दादा व ससुर केशू व असल प्रतिवादीगण के पिता सम्पतराम के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त इंतकाल का अंकन कर दिया गया, तथा हम वादीगण के पिता, दादा व ससुर केशू व असल प्रतिवादीगण के पिता सम्पतराम के मरने के बाद उनकी विरासत का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

इंतकाल हम वादीगण व असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी का अमल हो गया, केशू के पुत्र दौलतराम के मरने के बाद उसकी विरासत का इंतकाल उसके वारिसान के हक में दर्ज व तस्दीक व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी का अमल हो गया। हमवादीगण व असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम का अंकन साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयों में हो रहाहैं। केशू व सम्पतराम के स्वर्गवास उपरांत विवादित आराजी आपसी सहमति से हुए, घरू बंटवारा के अनुसार हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे में आई हैं, जिसके उपरांत हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण सालिम विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। और आज तक विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। और वर्तमान में भी विवादित आराजी पर हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हैं। विवादित आराजी हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके पिता, दादा व ससुर केशू की विरासत से प्राप्त हुई हैं। जिन अधिकारों को आज दिन तक किसी प्रकार निरस्त नही किया गया हैं। विवादित आराजी पर हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करते चले आ
रहे हैं। विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण व उनके पिता सम्पतराम का कभी कोई सम्बन्ध, वास्ता, सरोकार कब्जा काश्त नही रहा, और ना ही असल प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर वर्तमान में कोई कब्जा काश्त किसी भी हैसियत से हैं। असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज एंव गैरवास्ता शख्स हैं, जिनको विवादित आराजी के बारे में कोई राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट नैतिक एंव विधिक रूप से पैदा नही होता हैं। हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात भी थी, जिनमें से असल प्रतिवादीगण के पिता सम्पतराम के हिस्से कब्जे में आई आराजी पर सम्पतराम अपने जीवनकाल तक काबिज रहा, और उसके स्वर्गवास उपरांत असल प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हैं, जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड ताहाल में उनके नाम का अंकन होता चला आ रहा हैं। कर्मचारियान बन्दोबस्त/ राजस्व द्वारा बिना कोई जांच किये, व बिना साबिक राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये, असल प्रतिवादीगण से साजवाज होकर खिलाफ कानून मौका व उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के साथ असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार बिना किसी अधिकार कर दिया। जो राजस्व रिकार्ड का अंकन हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हक हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर व नाकाबिल पावन्दी है, एवं काबिल दुरस्ती हैं। जिस इन्द्राज असल प्रतिवादीगण के नाम कायम रहने से हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हक हकक जायल होते हैं। इसलिए हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज असल प्रतिवादीगण को कलमजन कराकर उसके बजाय अपने आपको सालिम विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर अपने नाम खातेदार काबिज काश्तकार का अंकन ताहाल राजस्व रिकार्ड में कराने के अधिकारी है। हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादितआराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये, उक्त खिलाफ कानून व मौका अंकन की जानकारी पूर्व में नही थी। अब हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी के साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की, तो जानकारी हुई, जानकारी होने पर दिनांक 02–01–2022 को हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण ने असल प्रतिवादीगण से सालिम विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के अकेले के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराने का निवेदन किया, तो असल प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाली व उनके द्वारा हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, और जाहिर किया, कि विवादित आराजी उनकी 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हैं, इसलिए अब हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को जबरन

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

बेदखल करके अपना जबरन कब्जा करेंगें, और ऐसा नही कर सकें, तो विवादित आराजी को दीगर शख्सो को मुंतकिल करके रहेंगें। और राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने से साफ इंकार कर दिया। यदि असल प्रतिवादीगण अपने इरादो में कामयाब हो गयें, तो हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को नापूर्ति होने वाली हानि होगी, उनके जायज कानूनी हकूक जायल होंगे, तथा बेजा मुकदमाबाजी व झगडाबाजी बढ़ेगी। कि जिस कारण से असल प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं, कि असल प्रतिवादीगण हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से किसी कदर जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा ना करें, हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे एवं कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत वो बाधा पैंदा ना करें, तथा अपने नाम हो रहें, गलत अंकन के आधार पर विवादित आराजी को रहन बय हिबय अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी शख्स या संस्था को खुर्दबुर्द हस्तांतरण एवम भारग्रस्त आदि ना करें। डिक्री इस्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज पारित कीजाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 899 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 906 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.66 हैक्टेयरे कायम किये गये हैं, ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी उप तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं. सालिम का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे, तथा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में असल प्रतिवादीगण के नाम का 1/4–1/4 हिस्सा का जो अंकन गलत आया है, उसे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन कराया जावें, तथा असल प्रतिवादीगण के स्थान पर दुरस्ती कराई जाकर बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्सेनुसार सालिम आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराए जाने की कृपा करें। डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाकर असल प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे, कि वो विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 899 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 906 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.66 हैक्टेयर कायम किये गये हैं, ग्राम बहादरपुर पटटी पहाडी उप तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को किसी कदर जबरन बेदखल कर जबरन कब्जा ना करे, वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे एवं कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत वो बाधा पैदा ना करे, तथा रहन बय हिवय अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी शख्स या संस्था को खुर्दबुर्द हस्तांतरण एवम भारग्रस्त आदि ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। असल प्रतिवादीगण ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर इकबाल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर साबिक 180 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 899 रकबा 0.14 है0 905 रकबा 0.66 है0, 906 रकबा 0.86 है0 कुल किता 03 रकाब 1.66 है0, कायम किये गये है वाके ग्राम पट्टी बहादरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है में सालिम आराजी का खातेदार काश्तकार वादीगणहै जिस आराजी से हमारा कोई ताल्लुक व सरोकार नही है जमाबन्दी में हमारा नाम आया है वो गलत है उक्त आराजी पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज है हमारा नाम जो भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है उसे हटा दिया जावें। तरतीबी प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वाद वादी स्वीकार करनें बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रतिवादीगण नें वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक अनुतोष डिक्री करने का कथन किया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने अपने वाद में प्रश्नगत साबिक खसरा नम्बर 180, रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, के हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 899 रकबा 0.14 है0, 905 रकबा 0.66 है0, 906 रकबा 0.86 है0, वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी में प्रतिवादीगण के नाम 1/4,1/4 हिस्से का जो अंकन बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया है। उक्त अंकन को प्रतिवादीगण असल ने अपनी सहमति से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम करने का इकबाल जवाब प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत आराजी को लेकर उभय पक्ष में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना एवं आपसी सहमति से प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज वापिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण को दिये जाने पर उभय पक्ष ने सहमति प्रकट की इस प्रकार उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है,कि हाल आराजी खसरा नम्बर 899 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 906 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.66 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी पहाडी में प्रतिवादी असल छज्जूराम पुत्र स्व0 सम्पतराम पुत्र एवं प्रभूदयाल पुत्र स्व0 सम्पतराम जाति माली का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर